"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016 — श्रावण 6, शक 1938

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-18/2005/42 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा राजपत्रित सेवा - संचालनालय में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :- (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा - (संचालनालय)" सेवा भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे.

   (2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

   (घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न विभिन्न अनुसूचियाँ;

   (ङ) "अनुसचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग;

   (ज) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची-तीन में उल्लेखित चयन समिति;

   (झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा - (संचालनालय);

   (ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

3. विस्तार तथा प्रयुक्तिः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्यों पर लागू होंगें ।

4. सेवा का गठन – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगें, अर्थातः–

(क) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूलरूप से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी । परन्तु शासन सेवा में होने वाले पदों की संख्या में समय–समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. भर्ती का तरीका– इन नियमों के लागू होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी अर्थात :–

(1) (क) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा राजपत्रित सेवा – संचालनालय अन्य के संवर्ग में अनुसूची तीन के कॉलम (2) में दर्शित पद के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में मूल रूप से ऐसे पद धारण करते हों ।

(2) उपनियम–1 के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के साथ अनुसूची दो में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, शासन की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर सा.प्र.वि. की सहमति से सेवा में भर्ती–संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें ।

7. सेवा में नियुक्ति– शासन इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियॉ करेगा और ऐसी नियुक्तियॉ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची तीन में उल्लेखित सदस्य होंगे किंतु छानबीन/पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर अन्य नाम निर्देशित किये गये सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उक्त ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अधिकारी को पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जावेगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जाएगी ।

(2) समिति का सम्मिलन सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा ।

9. पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :–

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रखते हुये, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानान्तरण या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जितनी अनुसूची तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंध के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण :– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहुत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध पदोन्नति के लिये चयन क्षेत्र विधिमान्य होंगे ।

10. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना:–

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 9 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के उपयुक्त समझें ।

11. आयोग से परामर्श :–

विभागीय पदोन्नति समिति की जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखंड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा ।

12. चयन सूची :–

(1) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची तीन के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य रहेगी ,

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार तथा आयोग की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा ।

13. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियॉं छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार की जावेगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो– सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्व करता हो ।

14. परिवीक्षा अवधि :– सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

15. निर्वचन :– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

16. शिथिलीकरण :– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्यपाल को, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है,

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

17. व्यावृत्ति :– इन नियमों की कोई भी बातें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इंस संबंध में जारी किए गए निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

18. निरसन और व्यावृत्ति :– मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा सेवा भर्ती नियम 1967 (समसंख्यक अधिसूचना क्रं. एफ–1–327–4302 दिनॉक 13 फरवरी 1968) छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त निरसन अन्य नियम एवं संकल्प इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश त्रिपाठी, उप-सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम 4 एवं 5 और 6 देखिए)

अनु. कमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कुल स्वीकृत पद	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियॉ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	01	प्रथम श्रेणी	18400—22400	
2	अतिरिक्त संचालक	03	प्रथम श्रेणी	18400—22400	
3	संयुक्त संचालक	03	प्रथम श्रेणी	16400—22400	
4	उप संचालक (तकनीकी)	03	प्रथम श्रेणी	12000—18500	
5	उप संचालक (अतकनीकी)	02	प्रथम श्रेणी	10000—15200	
6	उप संचालक (वित्त एवं लेखा)	01	प्रथम श्रेणी	10000—15200	
7	लेखा अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	8000—13500	
8	प्रोग्रामर	01	द्वितीय श्रेणी	8000—13500	
9	प्रशासकीय अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	6500—10500	

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिये)

अनु. क्रमांक	विभाग का नाम एवं पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भरती	पदोन्नति	स्थानान्तरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संचालक	01	00	00	100	इंजी. कॉलेज के वरिष्ठतम प्राचार्य के स्थानांतरण द्वारा भरा जायेगा ।
2	अतिरिक्त संचालक	03	00	00	100	इंजी. कालेज के प्राचार्य के स्थानांतरण द्वारा दो पद भरा जायेगा एवं एक पद पॉली. के प्राचार्य के स्थानांतरण द्वारा ।
3	संयुक्त संचालक	03	00	00	100	दो पद इंजी. कॉलेज के वरिष्ठतम प्रोफेसर के स्थानांतरण द्वारा एवं –एक पॉलीटेकनिक के प्राचार्य के स्थानांतरण द्वारा जायेगा ।
4	उप संचालक (तकनीकी)	03	00	00	100	दो पद इंजी. कॉलेज के वरिष्ठतम रीडर के स्थानांतरण द्वारा एवं –एक पॉलीटेकनिक के विभागाध्यक्ष / प्रवर श्रेणी व्याख्याता के स्थानांतरण द्वारा जायेगा ।
5	उप संचालक (अतकनीकी)	02	00	50	50	एक पद इंजी.कॉलेज के वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता (विज्ञान / मानविकी) पॉलीटेकनिक के वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता (विज्ञान / मानविकी) की प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा । एक पद संचालनालय तकनीकी शिक्षा के प्रशासकीय अधिकारी की पदोन्नति द्वारा ।
6	उप संचालक (वित्त एवं लेखा)	01	00	00	100	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा) से प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा ।
7	लेखा अधिकारी	01	00	00	100	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा) से प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा ।
8	प्रोग्रामर	01	00	00	100	इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलीटेकनिक से प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जायेगा ।
9	प्रशासकीय अधिकारी	01	00	00	100	संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अधीक्षक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा जायेगा ।

अनुसूची – तीन
(नियम 8 एवं 9 देखिये)

विभाग	उस पद/सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	पात्रता का कालावधि	उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी		विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
			पद का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी शिक्षा	1. अधीक्षक	5 वर्ष	प्रशासकीय अधिकारी	किसी भी विषय में स्नातक उपाधि	1.लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य–अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव--सदस्य 3. संचालक तकनीकी शिक्षा –सदस्य
	2. प्रशासकीय अधिकारी	10 वर्ष	उपसंचालक (अतकनीकी)	किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि	1.लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य--अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव--सदस्य 3. संचालक तकनीकी शिक्षा-- सदस्य

Raipur, the 20th September 2005

No. F-1-18/2005/42. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to recruitment to the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service- (Directorate) Recruitment Rules, namely :-

RULES

1. **Short Title and Commencement:** – (1) These rules may be called the "Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service – (Directorate)" Service Recruitment Rules, 2005

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

2. **Definitions**: – In these rules, unless the context otherwise requires: –

   (a)"Appointing Authority" in respect of the service means the Government;

   (b)"Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c)"Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d)"Schedule" means the schedule appended to these rules;

   (e)"Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India;

   (f)"Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India;

   (g)"Other Backward Classes" means Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification;

   (h)"Selection Committee" means the Selection Committee mentioned in Schedule III;

(i)"Service" means the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service – (Directorate);

(j) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application:**– Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to member of the service.

4. **Constitution of the Service:**– The service shall consist of the following persons, namely:

(1)Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I;

(2)Persons, recruited to the Service before commencement of these rules; and

(3)Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc**: The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment:** Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:

(1) (a) By promotion of the members already in the service specified in column (2) of Schedule III in the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service – (Directorate).

(b) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such service as specified in Schedule II.

(2) The number of persons recruited under clause (a) and clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts, as specified in Schedule I.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the Exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the General Administrative Department adopt such methods

of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service:** All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Appointment by Promotion: (1)**State Government shall constitute a committee consisting of the members mentioned in Schedule III for making a selection for promotion of eligible candidates. However, if there is no member other than the Chairman of the committee representing Scheduled Caste/ Scheduled Tribe and Other Backward Classes then one officer of equivalent cadre from Category Class will be included in addition to the above-mentioned Committee and the number of members of such promotion committee will be increased to that extent.

   (2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

   (3) There shall be reservation in promotion in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

9. **Conditions of eligibility for promotion: (1)** Subject to the provision of sub-rule(2) of Rule-8, the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service in the posts or any other post/posts declared equivalent thereto by the Government as mentioned in column (3) of the Schedule III and are within the Zones of consideration in accordance with the provision of sub-rule(2) of Rule-8 .

   Explanation: Method of Computation for Eligibility for Promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/ Scrutiny Committee is called for meeting, is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/ post of service / post and not from the date he has attained the pay-scale.

   (2) The Field of selection for promotion shall be valid in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

10. **Preparation of List of Suitable Officers:–** The Committee shall prepare a list in accordance with the Provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules

2003 of such persons who satisfy the conditions prescribed in Rule-9 found suitable for promotion/transfer to the service.

Consultation with the Commission: The Committee shall prepare the list in Consultation with Commission Provided that, recommendation of Departmental promotion Committee presided over by the Chairman or the Member of the Commission shall be deemed to be a compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution of India and a separate consultation with the commission shall not be necessary.

11. **Select List:** (1) The list as finally approved by the Government shall form the select list for promotion of the members of the service to the post as mentioned in column (4) of Schedule III from column (2) of the said schedule.

    (2) The Select list for promotion shall be valid up to 31st December of the calendar year in which it is prepared.

    Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

12. **Appointment to the Service from the Select List:** (1) Appointments of the officers included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

    (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

13. **Probation Period:** Every person promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Interpretation:** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

15. **Relaxation:** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equivalent:

    Provided the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

16. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste/. Scheduled Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

17. **Repeal and Saving:** Madhya Pradesh Technical Education Service Recruitment Rules, 1967 (vide notification No.F1-327-4302-बीम-dated 13 February, 1968) in relating to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and resolution in force immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

    Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJESH TRIPATHI, Deputy Secretary.

Schedule-I
(See Rule 4, 5 and 6)

Sl. No.	Name of the Post	Total Sanctioned Posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Director	01	Class-I	18400-22400	
2	Additional Director	03	Class-I	18400-22400	
3	Joint Director	03	Class-I	16400-22400	
4	Deputy Director (Technical)	03	Class-I	12000-18500	
5	Deputy Director (Non Technical)	02	Class-I	10000-15200	
6	Deputy Director (Finance & Account)	01	Class-I	10000-15200	
7	Account Officer	01	Class-II	8000-13500	
8	Programmer	01	Class-II	8000-13500	
9	Administrative Officer	01	Class-II	6500-10500	

Schedule-II
(See Rule 6)

Sl. No	Name of Department	Name of Service	Number of post*	Percentage of number of post to be filled			Remarks
				By Direct Recruit ment	By Promotion of members of the Service	By Transfer of persons Other Service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Technical Education	Director	01	00	00	100	By Transfer of senior Principal from Engineering College
2		Additional Director	03	00	00	100	Two posts will be filled by transfer of Principal from Engineering College and one post by transfer of Principal of Polytechnic College
3		Joint Director	03				Two posts will be filled by transfer of senior Professor from Engineering College and one post by transfer of Principal of Polytechnic College
4		Deputy Director (Technical)	03	00	00	100	Two posts will be filled by transfer of senior Reader from Engineering College and one post by transfer of Head of Department/ Selection Grade Lecturer from Polytechnic College
5		Deputy Director (Non-Technical)	02	00	50	50	One post will be filled by deputation of Selection Grade of Lecturer (Science /Humanities) from Polytechnic College and one post will be filled by promotion of Administrative Officer of Technical Education.
6		Deputy Director (Finance & Account)	01	00	00	100	Post will be filled from Finance Department (Treasury & Account)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7		Account Officer	01	00	00	100	Post will be filled from Finance Department (Treasury & Account)
8		Programmer	01	00	00	100	Post will be filled by deputation from Engineering / Polytechnic College
9		Administrative Officer	01	00	00	100	Post will be filled by promotion of Superintendent class from Directorate of Technical Education

Schedule-III
(See Rule 8 & 9)

Department	Name of Post from which promotion will be made	Period of Service required for promotion	Name of Service or Post to which promotion is to be made		Members of departmental promotion committee
			Name of post	Experience & Educational Qualification	
1	2	3	4	5	6
Technical Education	1.Superindentent	5 Year	Administrative Officer	Graduate in any Subject	1.Chairman of Public service Commission or his Nominee – Chairman 2.Additional Chief Secretary /Chief Secretary /Secretary-Member 3. Director of Technical Education-Member
	2. Administrative Officer	10 Year	Deputy Director (Non Technical)	Post Graduate in any Subject	1.Chairman of Public service Commission or his Nominee – Chairman 2.Additional Chief Secretary /Chief Secretary /Secretary-Member 3. Director of Technical Education-Member

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.